5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

निग/3039/III/15

प्रकरण क्रमांक रिविजन /2014–15

सुखदेव पिता भुवानीशंकर पाटीदार,
कृषक निवासी–ग्राम घिनोदा तह. खाचरोद
जिला उज्जैन —— आवेदक

—— विरूद्ध ——

ईश्वरलाल पिता बाबुलाल कुलम्बी,
कृषक निवासी– लेकोड़ियाटांक तह. खाचरोद
जिला उज्जैन —— अनावेदक

प्रार्थी अभिभाषक श्री R.S. Trivedi
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 27-8-15
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

535
27/8/15

<u>निगरानी धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता के अंतर्गत तहसीलदार एवं राजस्व निरीक्षक खाचरोद द्वारा प्र.क्र. 06 अ–12/14–15 में की गई सीमांकन कार्यवाही दिनांक 01/04/2015, 28/04/2015 एवं 08/06/2015 के विरूद्ध</u>

माननीय महोदय,

आवेदक द्वारा निम्न आधारों पर निगरानी प्रस्तुत है :–

01. यह कि, माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही विधि विधान एवं रेकार्ड के विपरीत होकर निरस्तकरणीय है।

02. यह कि, धारा 120 म.प्र. भू राजस्व संहिता के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक खाचरोद द्वारा सीमांकन की कार्यवाही का आदेश प्रदान करने में वैधानिक त्रुटि की है।

03. यह कि, माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीमांकन की कार्यवाही में पड़ोसी कृषक एवं आवेदक को सूचना दिये बगैर सीमांकन की कार्यवाही करने में वैधानिक त्रुटि की है।

04. यह कि, माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेवेन्यु रेकार्ड में बटांकन नहीं

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 3039–तीन/2015 जिला उज्जैन

सुखदेव विरूद्ध ईश्वरलाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3–2–2016	आवेदक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार एवं राजस्व निरीक्षक खाचरौद के प्रकरण कमांक 06/अ–12/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 01–4–15, 28–4–15 एवं 8–6–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। 2/ आवेदक अभिभाषक ने तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पड़ोसी कृषक एवं आवेदक को सूचना दिए बगैर सीमांकन की कार्यवाही करने में वैधानिक त्रुटि की है। यह भी तर्क दिया कि राजस्व रिकार्ड में बिना बटांकर किये सीमांकन नहीं किया जा सकता परन्तु तहसील न्यायालय ने सीमांकन करने में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 129 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। तर्क में यह भी कहा कि उसके विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही भी प्रारंभ कर दी गई है। 3/ आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा याचिका में अधीनस्थ न्यायालय के जिन आदेशों को चुनौती दी गई है उसमें मात्र 01–4–15 एवं 28–4–15 की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की है, दिनांक 08–6–26 की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की है। जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक ईश्वरलाल द्वारा	

ईश्वरलाल द्वारा स्वयं की भूमि के सीमांकन बावत आवेदन प्रस्तुत करने पर राजस्व निरीक्षक ने दिनांक 28–4–15 को सीमांकन किया जाना निर्धारित किया है तथा दिनांक 28–4–15 को सीमांकन करने के उपरांत तहसीलदार खाचरोद को प्रतिवेदन प्रेषित किया है एवं आवेदक सुखदेव का अनावेदक की भूमि पर अवैध कब्जा पाया गया है। जहां तक आवेदक को सूचना देने का प्रश्न है आवेदक ऐसा कोई दस्तावेज इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर सके जिससे यह सिद्ध होता हो कि आवेदक सीमांकित भूमि का सरहदी कास्तकार है तथा सीमांकन से हितबद्ध है। इसके अतिरिक्त बेदखली कार्यवाही के संबंध में भी कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये। यदि आवेदक के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही प्रारंभ कर भी दी गई हो तब भी आवेदक को अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष रखने का अवसर उपलब्ध होगा। दर्शित परिस्थितियों में इस निगरानी में ग्राह्यता का आधार नहीं होने से अग्राह्य की जाती है। प्रकरण दाखि रिकार्ड हो।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य